



प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2020

विषय- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में एजेंसी चार्जज मद एवं यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में क्रमशः धनराशि रू0 23.82 करोड एवं रू0 10.00 करोड अर्थात कुल 33.82 करोड स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-269/यूपीडा/08/147 दिनांक 03.03.2020 एवं पत्रांक-270/यूपीडा/08/147 दिनांक 03.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के मूल बजट एवं प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल कार्यों हेतु अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना- 24-वृहद निर्माण कार्य"के अन्तर्गत प्राविधानित अवशेष धनराशि में से एजेंसी चार्जज मद एवं यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में क्रमशः धनराशि रू0 23.82 करोड एवं रू0 10.00 करोड अर्थात कुल 33.82 करोड (रूपये तैतीस करोड बयासी लाख करोड) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

- (1) उक्त धनराशि यूपीडा के खाते में रखी जायेगी।
- (2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.12.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्षक "5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना -24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या -14 / 2020/667(1)/77-3-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
7. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।